



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 21.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 21.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



आतंकवाद विरोधी दिवस शपथ कार्यक्रम...

आज ही के दिन वर्ष 1991 में भारत के प्रधानमंत्री मां० स्व० राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी और उनकी हत्या की इस घटना में पूरी तरह से आतंकवाद का हाथ था यही वजह है कि उनकी हत्या के बाद से ही ये तय किया गया कि इस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसी क्रम में आज दिनांक 21.05.2021 को आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये जनपद महोबा में समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके थाना/चौकी/कार्यालय/अनुभाग में प्रभारी अधिकारियों द्वारा शपथ दिलाई गयी। पुलिस कार्यालय महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम, क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुये अधिकारियों/कर्मचारियों को शपथ दिलायी गयी। शपथ इस प्रकार है- **“हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परम्परा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानवजाति के सभी वर्गों के बीच शान्ति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं।”** इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने का उद्देश्य राष्ट्रहितों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों एवं आम जनता को आतंकवाद के कारण हो रही परेशानियों एवं आतंकी हिंसा से दूर करना है, हम सभी प्रकार के आतंकवाद एवं हिंसा का डटकर विरोध करेंगे।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 21.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना अजनर पुलिस ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के आदेश तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेजबहादुर सिंह के नेतृत्व में चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.05.2021 को **SHO** अजनर श्री अभिमन्यू यादव द्वारा गठित व0उ0नि0 रामप्रताप यादव के नेतृत्व में टीम ने अभियान में शामिल होकर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.स. 75/2021 धारा-354क/323/506 भादवि व 8 पाक्सो एक्ट व 3(1)ब(1), 3(2)5कएससी/एसटी में नामित/वान्छित चल रहे अभियुक्त देवेन्द्र राजपूत पुत्र जयसिंह राजपूत निवासी ग्राम जैलवारा थाना अजनर जनपद महोबा को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त का विवरण...।

देवेन्द्र राजपूत पुत्र जयसिंह राजपूत निवासी ग्राम जैलवारा थाना अजनर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:-

1. वरिष्ठ उ.नि. रामप्रताप यादव थाना अजनर जनपद महोबा।
2. हे.का. सत्यप्रकाश 3. का.नरेन्द्र बाबू यादव थाना अजनर जिला महोबा।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 21.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कबरई पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के आदेश तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के नेतृत्व में चलाये जा रहे शराब के अवैध कारोबार पर नियन्त्रण व उसमे लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.05.2021 को थानाध्यक्ष कबरई दिनेश कुमार सिंह द्वारा गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मूलचन्द्र रैकवार पुत्र स्व० श्री कल्लू निवासी मु० भगत सिंह नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा उम्र 39 वर्ष को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से 17 अदद क्वाटर ठेका देशी शराब (ब्राण्ड दिल से) व 10 अदद क्वाटर व्लू फायर ब्रान्ड कुल 27 अदद क्वाटर नाजायज पाण्डेय पुलिया के पास कस्बा कबरई से बरामद किए गये। बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु०अ०सं० 149/21 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण...

मूलचन्द्र रैकवार पुत्र स्व० श्री कल्लू उम्र 39 वर्ष निवासी मु० भगत सिंह नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० महेन्द्र सिंह तोमर 2. हे० का० राजेश कुमार



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 21.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना खन्ना पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के आदेश तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के नेतृत्व में चलाये जा रहे शराब के अवैध कारोबार पर नियन्त्रण व उसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.05.2021 को **SHO** खन्ना श्री शिव आसरे द्वारा गठित टीम ने अभियान के तहत 02 नफर अभियुक्त क्रमशः 1. रामेश्वर सिंह पुत्र सबल सिंह उम्र 33 वर्ष 2. चुनुवाद कुम्हार पुत्र परमा कुम्हार उम्र 28 वर्ष निवासीगण थाना खन्ना जनपद महोबा को गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से 20-20 अदद क्वार्टर देशी शराब झूम बरामद की गयी जिस पर बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु.अ.सं. 42/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम व मु.अ.सं. 43/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. रामेश्वर सिंह पुत्र सबल सिंह उम्र 33 वर्ष
2. चुनुवाद कुम्हार पुत्र परमा कुम्हार उम्र 28 वर्ष



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम...

1. उ०नि० त्रिभुवन सिंह
2. का० विकास कुमार 3. का० पवन



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 21.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में करबा कबरई में पैदल गस्त करके कराया जा रहा लॉकडाउन का पालन

आज दिनांक 21.05.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में वैश्विक महामारी **कोविड-19** के प्रसार को रोकने हेतु जनपद में लगाये गये लॉकडाउन का पालन कराये जाने के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय मय कबरई पुलिस बल के एवं सीओ चरखारी श्री उमेश चन्द्र मय पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्रों में पैदल गस्त करके लोगो से लॉकडाउन व कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई एवं मास्क का प्रयोग करने व हाथों को बार-बार धोने व भीड़-भाड वाली जगहो पर न जाने को कहा गया। जनपद के समस्त थानों द्वारा क्षेत्र में पैदल गस्त करके लोगो को उक्त नियमों को पालन करने की अपील की गई। यातायात नियमो के उल्लंघन पर **28 ई-चालान व कोविड-19 नियमो के उल्लंघन पर 07 व्यक्तियों से 3900/-रु0 शुल्क वसूल किया गया।**

